भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(91)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म. प्र.

पुनर्विलोकन – 6509/2018/ग्वालियर/भू.रा.

प्रकरण क्रमांक :– ..../2018 रिव्यू

श्री अभिषेक मार्गव द्वारा आज दि. 20/12/18 को प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 27/12/18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1– वीरेन्द्र चौरसिया पुत्र स्व. श्री मोतीलाल चौरसिया

2– श्रीमती राधारानी पत्नी स्व. श्री मोतीलाल चौरसिया समस्त निवासीगण ग्राम बिलौआ तहसील डबरा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश

–आवेदकगण

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलैक्टर जिला ग्वालियर म. प्र. –अनावेदक

पुर्नविलोकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 51 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 14/11/2018 न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर प्रकरण क्रमांक ***PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2018/1959***

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 6509/2018/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-12-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2018/1956 में पारित आदेश दिनांक 14-11-18 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात या साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । अतः यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	